उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-3

संख्या-36/2015/1389/35-3-2015-1(50)/2015

लखनऊः दिनांकः 26 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम-3 एवं 4 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1955) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके अधीन शक्ति का प्रयोग करके केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसके प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में आँकड़े एकत्र करने का क्षेत्रीय कार्य माह 16 मई से 30 जून, 2010 में पूर्ण किया जा चुका है।

केन्द्र सरकार द्वारा जनसख्या रजिस्टर को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की सम्बन्धित जानकारी एकत्र करने के लिए प्रदेश भर में घर-घर जाकर गणना करने सम्बन्धी क्षेत्र कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

इस संदर्भ मे, उत्तर प्रदेश सरकार, एतद्द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने के उद्देश्य से धारा 14A, 16 एवं 18 के अनुसार नीचे दी गई अनुसूची 1 एवं 2 के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कालम (3) में दिये गये एनपीआर पदनामों पर कालम (4) में उल्लिखित उनके प्रशासनिक क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार नियुक्ति करती है जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने तथा उसमें आधार नम्बर को अंकित करने का कार्य करवाने में सहयोग देने तथा पर्यवेक्षण करने का कार्य करेंगे।

मण्डल, जिला एवं ग्रामीण क्षेत्र

अनुसूची - 1

क्रम संख्या	पदनाम	एनपीआर पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
1	**2**	**3**	**4**
1-	मण्डलायुक्त	मण्डल रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	संबन्धित मण्डल के जिले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-	जिला मजिस्ट्रेट	जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित जिला
3-	अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व)	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित जिला
4-	बेसिक सिक्षा अधिकारी	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित जिला
5-	ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित जिला
6-	उप- जिला मजिस्ट्रेट	उप-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित तहसील के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र (नगर निगमों को छोड़कर)
7-	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित तहसील, जनगणना नगरों एवं वाह्यविकासों सहित परन्तु सांविधिक नगरों को छोड़कर
8-	खंड विकास अधिकारी	उप-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	संबन्धित खंड विकास क्षेत्र
9-	लेखपाल	स्थानीय रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित गांव/जनगणना नगर/वाह्य विकास

<u>एनपीआर के लिए नियुक्त उपरोक्त रजिस्ट्रारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व</u>

मण्डल रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) मण्डल स्तर पर जिला रजिस्ट्रार के कार्यो का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करना ।

(ख) मण्डल स्तर पर सभी जिलो में एनपीआर अद्यतन के कार्य को अधिसूचित अवधि में पूर्ण करना ।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किया गया कोई अन्य कार्य ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) जिला स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(ख) जिला स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(ग) अपने क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए एनपीआर आंकड़ा पुस्तिका की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(घ फील्ड कार्य के लिए सामग्री का वितरण ।

(ड़) उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्य जनता में जागरूकता पैदा की जा सके ।

(च) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(छ) पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(ज) फील्ड से एनपीआर बुकलेट वापस लेना ।

(झ) प्रत्येक निवासी के लिए आधार संख्या के साथ अद्यतन आंकड़े की प्रविष्टि करने के लिए जिला स्तरीय केन्द्र पर आंकड़ा प्रविष्टि की निगरानी करना ।

(ञ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना ।

(ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किया गया कोई अन्य कार्य ।

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) जिला स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(ख) जिला स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(ग) अपने क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए एनपीआर आंकड़ा पुस्तिंका की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(घ) फील्ड कार्य के लिए सामग्री का वितरण ।

(ड़) उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्य जनता में जागरूकता पैदा की जा सके ।

(च) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(छ) पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(ज) फील्ड से एनपीआर बुकलेट वापस लेना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(झ) प्रत्येक निवासी के लिए आधार संख्या के साथ अद्यतन आंकड़े की प्रविष्टि करने के लिए जिला स्तरीय केन्द्र पर आंकड़ा प्रविष्टि की निगरानी करना ।

(ञ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना ।

(ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किया गया कोई अन्य कार्य ।

उप-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) उप-जिला स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(ख) उप-जिला स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(ग) फील्ड कार्य के लिए सामग्री का वितरण ।

(घ) उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्य जनता को जागरूक किया जा सके ।

(ड़) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(च) यथा समय कार्य आरम्भ और समापन को सुनिश्चित करना ।

(छ) आंकड़ा संग्रहण की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(ज) संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(झ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना ।

(ञ) उप-जिला स्तर पर फील्ड गतिविधियों का समन्वय करना ।

(ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए सभी अन्य कार्य करना ।

स्थानीय रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) फील्ड कार्य के लिए प्रगणकों को सामग्री का वितरण।

(ख) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(ग) समय पर कार्य की शुरूआत करने और समाप्त् करने को सुनिश्चित करना ।

(घ) आंकड़ा संग्रहण की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(ड़) संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(च) प्रभार स्तर पर फील्ड गतिविधियों का समन्वय करना।

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नगर एवं नगरीय क्षेत्र

अनुसूची - 2

क्रम संख्या	पदनाम	एनपीआर पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
1	**2**	**3**	**4**
1-	नगर आयुक्त	जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित नगर निगम
2-	नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त	अतिरिक्त-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	नगर निगमों के भीतर उनके सम्बन्धित क्षेत्र
3-	नगर निगमों के जोनल अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त	उप-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	नगर निगमों के भीतर उनके सम्बन्धित क्षेत्र
4-	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों, छावनी परिषद और नगर पंचायत, औद्योगिक क्षेत्र (आईटीएस)	उप-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक क्षेत्र
5-	राजस्व निरीक्षक	स्थानीय रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण	सांविधिक नगरों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/ छावनी परिषद/ नगर पंचायत/ औद्योगिक क्षेत्र)

<u>एनपीआर के लिए नियुक्त उपरोक्त रजिस्ट्रारों के कर्तव्य</u>

जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) नगर स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(ख) नगर स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(ग) अपने क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए एनपीआर आंकड़ा पुस्तिका (बुकलेट) की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ)फील्ड कार्य के लिए सामग्री का वितरण ।

(ड़) उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्य जनता में जागरूकता पैदा की जा सके ।

(च) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(छ) पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(ज) फील्ड से एनपीआर बुकलेट वापस लेना ।

(झ) प्रत्येक निवासी के लिए आधार संख्या के साथ अद्यतन आंकड़े की प्रविष्टि करने के लिए नगर स्तरीय केन्द्र पर आंकड़ा प्रविष्टि की निगरानी करना ।

(ञ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना ।

(ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किया गया कोई अन्य कार्य ।

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) नगर स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(ख) नगर स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(ग) अपने क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र के लिए एनपीआर आंकड़ा पुस्तिका (बुकलेट) की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(घ) फील्ड कार्य के लिए सामग्री का वितरण ।

(ड़) उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्य जनता में जागरूकता पैदा की जा सके ।

(च) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(छ) पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(ज) फील्ड से एनपीआर बुकलेट वापस लेना ।

(झ) प्रत्येक निवासी के लिए आधार संख्या के साथ अद्यतन आंकड़े की प्रविष्टि करने के लिए नगर स्तरीय केन्द्र पर आंकड़ा प्रविष्टि की निगरानी करना ।

(ञ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना ।

(ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किया गया कोई अन्य कार्य ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उप-जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) नगर निगम स्तर पर सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ।

(ख) नगर निगम स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(ग) फील्ड कार्य के लिए सामग्री का वितरण ।

(घ) उचित और विस्तृत प्रचार सुनिश्चित करना ताकि सामान्यी जनता को जागरूक किया जा सके ।

(ड़) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(च) निर्धारित समय कार्य आरम्भ और समापन को सुनिश्चित करना ।

(छ) आंकड़ा संग्रहण की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(ज) संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(झ) व्यय पर वित्तीय नियंत्रण करना ।

(ञ) नगर निगम स्तर पर फील्ड गतिविधियों का समन्वय करना ।

(ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए सभी अन्य कार्य करना।

स्थानीय रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण

(क) प्रभार स्तर पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(ख) फील्ड कार्य के लिए प्रगणकों के सामग्री का वितरण ।

(ग) फील्ड कार्य का निरीक्षण करना ।

(घ) समय पर कार्य की शुरूआत करने और समाप्त् करने को सुनिश्चित करना ।

(ड़) आंकड़ा संग्रहण की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(च) संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना और सत्यापित करना ।

(छ) प्रभार स्तर पर फील्ड गतिविधियों का समन्वय करना ।

(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना ।

राजप्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:36/2015/1389 (1)/35-3-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचनाओं (हिन्दी/अग्रेजी) को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) प्रकाशित कराकर उसकी 500-500 प्रतियां तत्काल नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

7- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, प्लाट संख्या-सी0सी0-1,सेक्टर जी, अलीगंज लखनऊ।

8- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।